जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधि. सं0 20/2016 अनवानी फौजा सिंह पुत्र हाकमसिंह निवासी गांव मिठ्ठी बुधगिर डाकखाना सिंघेवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर साहिब (पंजाब) बनाम जन सूचना अधिकारी एवं प्रवर्तन अधिकारी सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

21.09.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी फौजा सिंह उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारी एवं भार साधक अधिकारी (पेन्शन विभाग) कार्यालय उपमण्डल दण्डनायक, सादुलशहर से प्रा0 पत्र दिनांक 15.09.2015 से चाही गई सूचनाएं उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैने अपीलार्थी के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री फौजा सिंह ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.09.2015 के द्वारा जन सूचना अधिकारी एवं भार साधक अधिकारी (पेन्शन विभाग) कार्यालय उपमण्डल दण्डनायक, सादुलशहर से निम्न सूचना चाही थीः–

ए/वीरपाल कौर पुत्री कालूराम वासी वार्ड न0 7 सादुलशहर तहसील गंगानगर ने कौन सी तारीख को किस हैसियत से पैन्शन प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया था। पैन्शन प्राप्ति के लिए क्या–2 कागजी कारवाई की गई थी, के बारे में सत्यापित प्रतियां सहित तमाम जानकारी जन सूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थी को प्रदान करवाई जावे।
बी/वीरपाल कौर उक्त पैन्शन प्राप्त करने के लिए जो निवेदन पत्र विभाग के पास दिया है उसमें अपने पति का नाम तथा अपना स्टेटस क्या लिखा है। वीरपाल कौर ने पैन्शन फार्म में आश्रित कितने बच्चे दिखाए है उनका नाम व जन्म तिथि के बारे में जो भी सबूत पेश किए है की सूचना भी जनसूचना अधिनियम के अन्तर्गत सत्यापित प्रतियां सहित उपलब्ध करवाई जावे।
सी/उपरोक्त वीरपाल कौर के नाम से पैन्शन कौन सी तारीख बनाकर पहली बार पैन्शन कब जारी की गई थी। उस पैन्शन को वीरपाल कौर ने व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त की है या उसके बैंक खाता में जमा करवाई जा रही है उअगर बैंक खाता में जमा करवाई जा रही है तो बैंक खाता संख्या की जानकारी तथा इसके अतिरिक्त अब तक वीरपाल कौर को कितने मास तक पैन्शन वितरित की गई है के मस्टरोल की प्रति पूरी जानकारी सत्यापित प्रतियां सहित उपलब्ध करवाई जावे।

उक्त सूचनांओ के संबंध में उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने अपने पत्र सं0 628 दिनांक 01.10.2015 से अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सादुलशहर को भिजवाते हुए अपीलार्थी को सूचित किया है कि वह नगरपालिका सादुलशहर से सम्पर्क करे। नगरपालिका सादुलशहर द्वारा भी अपीलार्थी को पत्र सं0 4191 दिनांक 03.02.16 से चाही गई सूचनांओ के संबंध में सूचित किया जा चुका है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी अगर नगरपालिका, सादुलशहर द्वारा दी गई सूचनाओ से असन्तुष्ट है तो वह नियमानुसार सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने के लिए स्वतन्त्र है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर